रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 1999/चैत्र 5, 1921

No. 156] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 1999/CHAITRA 5, 1921

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1999

का. आ. 190 (अ).—भारत में ऐसे कतिपय कीटनाशियों के जिनके उपयोग पर अन्य देशों में या तो पाबंदी लगा दी गई थी या जिन्हें निर्बन्धित कर दिया गया था, क्योंकि उनके उपयोग से मनुष्यों के या पशुओं के स्वास्थ्य की जोखिम अंतर्बलित थी, निरंतर उपयोग की समीक्षा करने की दृष्टि से कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 624 (अ) तारीख 24 जुलाई, 1998 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(ii) तारीख 24 जुलाई, 1998 में एक प्ररूप आदेश प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त राजपत्र 28 जुलाई, 1998 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था,

अत: केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस प्रयोजन के लिए गठित रजिस्ट्रीकरण समिति और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि मिथोमाइल 12.5 प्रतिशत एल सूत्रयोग और फासफेमीडॉन 85 प्रतिशत एस एल के उपयोग से मनुष्यों और पशुओं को जोखिम होने की संभावना है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

(1) इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् निम्नलिखित कीटनाशियों का विनिर्माण और उपयोग प्रतिषिद्ध हो जाएगा, अर्थात् :—

(i) माइथोमाइल 12.5 प्रतिशत एल सूत्रयोग,

(ii) फासफेमीडॉन 85 प्रतिशत एस एल;

(2) मिथोमाइल 12.5 प्रतिशत एल और फासफेमीडॉन 85 प्रतिशत एस एल सूत्रयोग के उत्पादन अथवा विनिर्माण के लिए कोई रजिस्ट्रीकरण नहीं होगा अथवा कोई अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी;

(3) मिथोमाइल 12.5 प्रतिशत एल और फासफेमीडॉन 85 प्रतिशत एस एल के विनिर्माण के लिए रजिस्ट्रीकरण कराने वाली ऐसी विभिन्न फर्मों और व्यक्तियों को उनके विनिर्माण की बाबत इकाईयों की स्थापना करने के लिए जारी की गई विनिर्माण अनुज्ञप्तियां रद्द समझी जाएंगी, जिन्होंने उक्त सूत्रयोग के विनिर्माण के लिए सुविधाएं अभी तक सृजित नहीं की हैं।

(4) ऐसी रजिस्ट्रीकरण कराने की बाबत जिन्होंने अभी तक विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की है, मिथोमाइल 12.5 प्रतिशत एल और फासफेमीडॉन 85 प्रतिशत एस एल की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जाता है;

(5) राज्य सरकार को ऐसे उपाय करने की शक्ति होगी जिन्हें वह संबद्ध राज्य में इन आदेशों को लागू करने के लिए ठीक समझे।

[फा. सं. 17-28/94-पी. पी.-I]

पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi the 26th March, 1999

S. O. 190 (E).—Whereas a draft order with a view to review the continued use in India of certain insecticides which were either banned or restricted for use in other countries because of involved health risks to human beings and animals, was published under sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S. O. 624 (E), dated, the 24th July, 1998 in the Gazette of India Extraordinary Part II–section 3 (ii) dated 24th July, 1998, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty five days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And, whereas the said Gazette was made available to the public on 28th July, 1998;

And, whereas the objections and suggestions received in respect of the said order has been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968, the Central Government, after considering the recommendations of the Registration Committee and the Expert Committee constituted for the purpose and on being satisfied that the use of Methomyl 12.5% L formulation and phosphamidon 85% SL is likely to cause risk to human beings and animals, hereby makes the following Orders, namely :—

(1) after one year from the date of publication of this Order, the manufacture and use of the following pesticides shall be prohibited, namely :—

(i) Methomyl 12.5% L formulation,

(ii) Phosphamidon 85% SL;

(2) there shall not be any registration or grant of manufacturing licence for the production or formulation of Methomyl 12.5% L and phosphamidon 85% SL formulations;

(3) the manufacturing licences issued to various registrants of Methomyl 12.5% L and Phosphamidon 85% SL for setting up of manufacturing units shall stand cancelled in respect of those firms or persons which are yet to create facilities for manufacture of the said formulations.

(4) the certificate of registration in respect of Methomyl 12.5% L and Phosphamidon 85% SL in respect of those registrations who are yet to obtain manufacturing licences is hereby cancelled;

(5) the State Government shall have the power to take such steps as it may deem fit for carrying into execution of these Orders in the State concerned.

[F. No. 17-28/94-P.P.-I]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1999

का. आ. 191 (अ).—भारत में ऐसे कतिपय कीटनाशियों के जिनके उपयोग पर अन्य देशों में या तो पाबंदी लगा दी गई थी या जिन्हें निर्बंधित कर दिया गया था, क्योंकि उनके उपयोग से मनुष्यों के या पशुओं के स्वास्थ्य की जोखिम अंतर्बलित थी, निरंतर उपयोग की समीक्षा करने की दृष्टि से कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 625 (अ) तारीख, 24 जुलाई, 1998 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (ii) तारीख 24 जुलाई, 1998 में एक प्ररूप आदेश प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त राजपत्र 28 जुलाई, 1998 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

अत. केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस प्रयोजन के लिए गठित रजिस्ट्रीकरण समिति और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि मिथोमाइल 24 प्रतिशत सूत्रयोग और फिनाइल मरकरी एसीटेट के उपयोग से मनुष्यों और पशुओं को जोखिम होने की संभावना है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

(1) इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित कीटनाशियों का विनिर्माण और उपयोग प्रतिषिद्ध हो जाएगा, अर्थात्:—

(i) माइथोमाइल 24 प्रतिशत सूत्रयोग,

(ii) फिनाइल मरकरी एसीटेट;

(2) राज्य सरकार को ऐसे उपाय करने की शक्ति होगी जिन्हें वह संबद्ध राज्य में इस आदेश को लागू करने के लिए ठीक समझे।

[फा. सं. 17-28/94-पी.पी.-I]

पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th March, 1999

S.O. 191(E).—Whereas a draft order with a view to review the continued use in India of certain insecticides which were either banned or restricted for use in other countries because of involved health risks to human beings and animals,

was published under sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S.O. 625 (E), dated, the 24th July, 1998 in the Gazette of India Extraordinary Part II - section 3 (ii) dated 24 the July, 1998, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty five days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And, whereas the said Gazette was made available to the public on 28th July, 1998;

And, whereas the objections and suggestions received in respect of the said Order has been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968, the Central Government, after considering the recommendations of the Registration Committee and the Expert Committee constituted for the purpose and on being satisfied that the use of Methomyl 24 % formulation and phenyl Mercury Acetate is likely to cause risk to human beings and animals, hereby makes the following Order, namely:—

(1) from the date of publication of this order, the manufacture and use of the following pesticides shall be prohibited, namely:—

(i) Methomyl 24% formulation,

(ii) Phenyl Mercury Acetate;

(2) the State Government shall have the power to take such steps as it may deem fit for carrying into execution of this Order in the State concerned.

[F. No. 17-28/94-P.P.I]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054